तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न0 व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 40/2021 अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2021/49)

अनवानः

1. सर्वजीत कौर उर्फ विजय पुत्री स्व. हरबंश सिंह पत्नी छिन्द्रपाल सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. गुरविन्द्र पुत्री स्व. हरबंश सिंह पत्नी सुरजीत सिंह जाति मजहबी सिख निवासी मटीली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उपतहसीलदार राजस्व मिर्जेवाला।

20-1-26

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पर बहस उभय सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस कथन किया कि उपरोक्त अनुवानी अपील अनकम्पलीट एवं डिफेक्टिव पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय में मिलखा सिंह, रणजीत कौर, छिन्द्र कौर, गुरमीत कौर जरिये अधिवक्ता उपस्थित थी एवं अन्य भी पक्षकार थे, किन्तु उक्त अपील में आवश्यक एवं हितबद्ध व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया है। अपील अनकम्पलीट होने के कारण किसी भी स्तर पर सुनवाई नहीं हो सकती। अतः उपरोक्त आधार पर अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 12.08.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष केवल मात्र जिला कलक्टर न्यायालय के द्वारा पारित संपरिवर्तन आदेशों के विरूद्ध ही अपील संधारण योग्य है। उपरोक्तानुसार अपील क्षेत्राधिकार से बाहर प्रस्तुत की गई है तथा न्यायालय को मुगालते में रखकर एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। स्थगन आदेश से अप्रार्थी के हित सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे है। इसलिए पत्रावली में क्षेत्राधिकार के बिन्दु को प्रथम स्टेज पर ही तय किया जाना आवश्यक है। अतः अपील में पूर्व में जारी स्थगन आदेश को निरस्त कर अपील क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर निरस्त फरमायी जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने प्रार्थना पत्र बहस कथन किया कि अपील अपीलांट की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को ही है। प्रकरण धारा 75 की श्रेणी में आता है, जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। पत्रावली में अंतिम वहस होनी है। अंतिम बहस की स्टेज पर प्राथमिक आपति पेश व तय नहीं की जा सकती है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्राथमिक आपति निरस्त कर अंतिम बहस सुनने की कृपा करें।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व वहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। पत्रावली नंवर से कम हो। आदेश सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर